☎ 2286710, 2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांकः– 1062/01/तीस/कार्यक्रम/2017–18 दिनांकः– 23 जून, 2017

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः–**प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु समस्त कर्मचारियों को जानकारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–217/एम0एस0/सी0एम0/2017 दिनांक 20.06.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें हडकों के पत्र सं0–हडको/ल0क्षे0का0/सीएलएसएस/2017/1382 दि0 30/31.03.2017 द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के वे व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक, अल्प आय वर्ग के वे व्यक्ति, जिनकी आय 3 से 6 लाख रूपये तक, मध्यम आय वर्ग–1 के वे व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय 6 से 12 लाख तक तथा मध्यम आय वर्ग–2 के वे व्यक्ति, जिनकी आय 12 से 18 लाख रूपये तक हो और जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, इस सुविधा के पात्र हैं। अपने आवास निर्माण करने अथवा मौजूदा मकान के नवीनीकरण कार्य हेतु हडको, बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने पर अल्प एवं दुर्बल आय वर्ग के पात्र व्यक्तियों को 6.50 प्रतिशत तथा मध्यम आय वर्ग–1 के लिये 4 प्रतिशत तथा मध्यम आय वर्ग–2 के लिये 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी राशि हडकों के माध्यम से अग्रिम तौर पर दिये जाने का प्राविधान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के समस्त कर्मचारियों, जो कि उक्त योजना के दायरे में आते हैं, को किसी भी बैंक/हाऊसिंग फाइनेन्स इन्स्टीटयूशन्स/हडको से आवास निर्माण हेतु ऋण लेकर पात्रतानुसार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल सकें।

<u>संलग्नकः</u>–यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. विशेष सचिव एवं स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
4. [illegible] अधिकारी, सहा० परि० अधि०/वेब मास्टर को आवश्यक कार्यवाही हेतु

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

Surr-XIII/20